न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 145/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. मुखीदेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
2. परमेश्वरी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
3. सरोज पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
4. शारदा पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
5. कलावती पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
6. रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
7. भूपेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।

- **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : पेरोकार राज : **वादी**

निर्णय **दिनांक :** 22/1/18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बोझला के खसरा सं0 172 की कुल 5.741 है0 भूमि वर्तमान में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा (चिमनी) लगाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। वर्तमान में ईन्ट भट्टा बंद है। प्रतिवादीगण विवादित कृषि भूमि के खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा सं0 172 की भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सदभावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीण की तामील हो चुकी है, प्रतिवादी सं0 1 ता 7 को बार बार आवाज लगाई गई न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये, इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लांई गई।

साक्ष्य वादी में संदीप चौधरी पुत्र आरएस चौधरी जाति जाट हाल तहसीलदार राजस्व भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में हल्का पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श 1, नजरी नक्शा पटवार मण्डल डोबी प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम बोझला के खाता सं0 119/117 सम्वत् 2069–72 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस पेरोकार राज की ओर से सुनी गई। अपनी लिखित बहस में पेरोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है। खातेदार द्वारा वाद भूमि में कृषि जोत से भिन्न कार्य कर जोत का स्वरूप नष्ट कर दिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद भूमि को ईन्ट भट्टे के उपयोग में लिया जा रहा है तथा मौके पर चिमनी का निर्माण किया हुआ है। भूमिधारी द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद दायर किया है जिसकी ताईद में मौके पर आज भी चिमनी मौजुद है। कृषि भूमि में ईंट भट्टे का निर्माण होने से कृषि उपज नष्ट हो गई है तथा भूमि की किस्म बदल दी गई है। कृषि भूमि को कृषि कार्य से भिन्न उपयोग के लिए विधि के अनुसार सरकार द्वारा नियम बनाये गये है। कृषि भूमि को अकृषि उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007) वर्तमान में विद्यमान है लेकिन खातेदार कृषक द्वारा विधि के विरूद्ध ईंट भट्टे का निर्माण किया गया है जो गैर कानूनी है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से भू अभिधारी मुखीदेवी, परमेश्वरी, सरोज, शारदा, कलावती, रामचन्द्र, भूपेन्द्र के विरूद्ध विवादित कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवासी, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि भू अभिधारी ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि भू अभिधारी प्रतिवादीगण मुखीदेवी, परमेश्वरी, सरोज, शारदा, कलावती, रामचन्द्र, भूपेन्द्र ने कृषि भूमि के रकबा 5.741 है0 का ईन्ट भट्टा के रूप में बिना किसी विधि सम्मत आदेश, सम्परिर्वतन आदेश, लाईसेंस, परमिट के किया है। अत : अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। चूंकि प्रतिवादीगण बाद सम्मन तामील उपस्थित नहीं आया है न ही कोई जबाव पेश किया है। चूंकि प्रतिवादी ख़ातेदार/अभिधारी के द्वारा कृषि भूमि अकृषि के रूप में प्रयोग करना साबित है। प्रतिवादी दावा दायरी से निर्णय तक की अवधि में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग करने हेतु विधि सम्मत कार्यवाही कर विधिक स्वीकृति/

संपरिवर्तन आदेश प्राप्त करने का पर्याप्त समय था, मगर प्रतिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई, ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में भू-अभिधारी को खातेदारी अधिकारों से बेदखल किया जाना न्याय सम्मत है। दूसरी तरफ वादी अपने पक्ष को साबित करने में सफल रहा है।

अत : वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बोझला के खसरा सं0 172 की कुल 5.741 है0 भूमि वर्तमान में मुखीदेवी, परमेश्वरी, सरोज, शारदा, कलावती, रामचन्द्र, भूपेन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो प्रतिवादीगण द्वारा अकृषि कार्य (ईंट भट्टा) में उपयोग ली जा रही है को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है तथा तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि का कब्जा बहक राज्य सरकार लेकर भू-अभिधारी मुखीदेवी, परमेश्वरी, सरोज, शारदा, कलावती, रामचन्द्र, भूपेन्द्र को वादभूमि ग्राम बोझला के खसरा सं0 172 की कुल 5.741 है0 से बेदखल करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/1/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 145/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।
– वादी

बनाम

1. मुखीदेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
2. परमेश्वरी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
3. सरोज पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
4. शारदा पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
5. कलावती पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
6. रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।
7. भूपेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन बोझला।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष पैरवीकर्ता वादी पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बोझला के खसरा सं0 172 की कुल 5.741 है0 भूमि वर्तमान में मुखीदेवी, परमेश्वरी, सरोज, शारदा, कलावती, रामचन्द्र, भूपेन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो प्रतिवादीगण द्वारा अकृषि कार्य (ईंट भट्टा) में उपयोग ली जा रही है को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है तथा तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि का कब्जा बहक राज्य सरकार लेकर भू–अभिधारी मुखीदेवी, परमेश्वरी, सरोज, शारदा, कलावती, रामचन्द्र, भूपेन्द्र को वादभूमि ग्राम बोझला के खसरा सं0 172 की कुल 5.741 है0 से बेदखल करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/1/18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़